न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 50 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. हनुमानराम पुत्र मांगाराम
2. गुणेशाराम पुत्र मांगाराम
3. हराराम पुत्र मांगाराम
4. मनराराम पुत्र वोताराम
5. सवदाराम पुत्र वोताराम जाति कलबी निवासी सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.कानाराम पुत्र प्रागाराम

2.कचराराम पुत्र प्रागाराम जाति कलबी निवासी सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

3.तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 168 / 2015 बअनवान कानाराम वगै. बनाम हनुमानराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.08.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 16.02.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पुश्तैनी सम्पति की संयुक्त हक एवं कब्जा काश्त की रकबा 29.07 बीघा भूमि ग्राम सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है जिस पर वादीगण के पिता प्रागाराम ने वक्त बंदोबस्त अमीन के साथ रहकर नपवाया था तथा जिस पर वक्त सेटलमेंट से पहले से वादी परिवार का ही लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु वंदोबस्त अधिकारियों ने भूलवंश खसरा संख्या 342 कायम कर रकबा 24.07 बीघा भूमि वादीगण के पिता प्रागाराम की खातेदारी में दर्ज की किन्तु शेष रकबा 05.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पूर्व पुरूष वोता की रकबा 06.17 बीघा में शामिल करते हुऐ खसर संख्या 343 कायम कर रकबा 11.17 बीघा भूमि वोता की खातेदारी में दर्ज कर दी जबकि पुरानी माठों एवं मौका स्थिति के अवलोकन से

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

उक्त रकबा 05.00 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी होना स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम सम्मन जारी करने पर अपीलांटगण की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया गया। अपीलांटगण की ओर से नियुक्त अधिवक्ता ने अपीलांटगण की समुचित पैरवी नहीं की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को जवाबदावा पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया, तथा उसके बाद उतरदाता संख्या 01 द्वारा मौखिक साक्ष्य पेश की गई परन्तु वादीगण के साक्ष्य जिरह करने का अवसर नहीं दिया तथा प्रतिवादीगण को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही दिनांक 31.08.2020 को वादीगण का वाद स्वीकार कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 343 वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक अपीलांटगण के खातेदारी में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उतरदाता संख्या 01 व 02 ने अपीलांटगण की 05 बीघा भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया तो अपीलांटगण ने एक राजस्व वाद इसी अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 254/2007 पेश कर कब्जा से बेदखल करने की इस्तदुआ चाही गई। न्यायालय द्वारा वाद की पूर्ण सुनवाई कर दिनांक 28.03.2013 को अपीलांट का वाद स्वीकार कर उतरदाता को अपीलांटगण के खेत खसरा संख्या 343 रकबा 05 भूमि पर किये गये अवैध कब्जे से बेदखल कर कब्जा अपीलांटगण को देने के संबंध में निर्णय व डिक्री जारी कर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा अपील श्रीमान न्यायालय में पेश की गई। उक्त अपील संख्या 34/2013 में दिनांक 22.04.2015 के श्रीमान न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दी गई तब अपीलांटगण ने श्रीमान न्यायालय के अपीलीय आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई जो अपील अभी तक माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के तहत आवेदन पेश कर सम्पूर्ण तथ्यों से अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करवाया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में अपने न्यायालय में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय व डिक्री प्रभाव में रहते हुऐ एक ही विवादित भूमि के संबंध में दूसरा निर्णय होने से विवाद अधिक बढेगा फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्यों पर गोर फरमाये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत वाद के नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली जवाब में चलती रही तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के गवाह पेश होने पर अपीलांटगण ने जिरह का अवसर चाहा जो नहीं दिया गया एवं अपीलांटगण को जिरह का अवसर बंद कर दिया गया। पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य के दिनांक 27.03.2020 को रखी गई तथा अगली पेशी तारीख 11.06.2020, 03.07.2020, 24.07.2020 व 10.08.2020 एवं 24.08.2020 को लॉकडाउन होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा दिनांक 24.08.2020 को प्रतिवादी साक्ष्य में पत्रावली थी लेकिन राजस्व मण्डल राजस्थन अजमेर ने दिनांक 20.08.2020 को गवाहों को प्रवेश न्यायालय में वर्जित कर देने के कारण अपीलांटगण उक्त पत्रावली में गवाहों को पेश नहीं कर सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया वादीगण की पुश्तैनी सम्पति की संयुक्त हक एवं कब्जा काश्त की रकबा 29.07 बीघा भूमि ग्राम सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है जिस पर वादीगण के पिता प्रागाराम ने वक्त बंदोबस्त अमीन के साथ रहकर नपवाया था तथा जिस पर वक्त सेटलमेंट से पहले से वादी परिवार का ही लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु बंदोबस्त अधिकारियों ने भूलवंश खसरा संख्या 342 कायम कर रकबा 24.07 बीघा भूमि वादीगण के पिता प्रागाराम की खातेदारी में दर्ज की किन्तु शेष रकबा 05.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पूर्व पुरूष वोता की रकबा 06.17 बीघा में शामिल करते हुऐ खसर संख्या 343 कायम कर रकबा 11.17 बीघा भूमि वोता की खातेदारी में दर्ज कर दी जबकि पुरानी माठों एवं मौका स्थिति के अवलोकन से उक्त रकबा 05.00 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी होना स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस को सुनकर पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय व

डिक्री का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज व तरमीम भी हो गयी है। अपीलांटगण द्वारा उत्तरदातागण को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के परिपत्र क्रमांक राम/न्याय/रथा/प–70/2010/9016–82 दिनांक 20.08.2020 की अक्षरसः पालना नहीं की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उक्त परिपत्र के द्वारा आदेशित किया गया था कि राजस्व न्यायालयों में राजस्व वाद से संबंधित पक्षकार एवं अन्य व्यक्तियों का प्रवेश न्यायालय परिसर में वर्जित रहेगा इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2020 को अपीलांटगण की साक्ष्य बंद कर दी गई। अपीलाधीन आराजी को लेकर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा वाद संख्या 264/2007 पेश कर कब्जा से बेदखल करने की इस्तदुआ चाही गई। मातहत न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई कर दिनांक 28.03.2013 को अपीलांट का वाद स्वीकार कर उत्तरदाता को अपीलांटगण के खेत खसरा संख्या 343 रकबा 06 भूमि पर किये गये अवैध कब्जे से बेदखल कर कब्जा अपीलांटगण को देने के संबंध में निर्णय व डिक्री जारी कर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध उत्तरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई। उक्त अपील संख्या 34/2013 में दिनांक 22.04.2015 के न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दी गई तब अपीलांटगण ने न्यायालय हाजा के अपीलीय आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई जो अपील अभी तक माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। उसी आराजी को लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक नया वाद पेश किया गया जबकि पूर्व में पेश वाद अंतीम रूप से अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं किया गया उससे पूर्व ही उत्तरदातागण की तरफ से नया वाद पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोविद–19 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित परिपत्र की पालना नहीं करते हुए अपीलांटगण को साक्ष्य एवं जिरह का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त

के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 168/2015 बअनवान कानाराम वगै. बनाम हनुमानराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.08.2020 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सबूत एवं जबाव का अवसर देते हुए बाद समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर कर गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करे।

(अरविन्द कुमार जोखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर